

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1970]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2014/आश्विन 2, 1936

No. 1970]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2014/ASVINA 2, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

का.आ. 2493 (अ).—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 18 अगस्त, 1967 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2927(अ) के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से रह गई बातों के संबंध में और उनको छोड़कर, केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के अभिप्राय के भीतर संघटित मैसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक खान नरकाटिया ऑयल फील्ड से गुवाहाटी और बरौनी (बिहार) में पेट्रोलियम तेल शोधन संयंत्रों और इस मार्ग पर पड़ने वाले अन्य तेल शोधन संयंत्रों (उस पर ग्रुप एकत्रण स्टेशनों अथवा गैस संग्रहण स्टेशनों अथवा सदृश स्टेशनों और तेल कुंओं से ऐसे स्टेशनों को सहयोजित पाइपलाइनों परन्तु तेल कुंओं में प्रथम पम्पिंग स्टेशनों तक ले जाने वाली सन्निकट ऑउट-वाई पाइपलाइन से पहले के सिवाय पम्पिंग स्टेशनों और पॉवर स्टेशनों सहित) तक बिछाई गई कच्चे तेल की पाइपलाइनों को छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।

[फा. सं. जै-13025/01/2013-आईएसएच-II]

ए. सी. पाण्डे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd September, 2014

S.O. 2493 (E).—In exercise of the powers conferred by section 83 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2927, dated the 18th August, 1967, except as respects and things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government has decided to exempt the crude oil pipe lines running from Naharkatia Oil Field to the Petroleum Refineries at Guwahati and Barauni (Bihar) and other Refineries falling in this route (including the Pumping Stations and Power Stations thereon, except Group Gathering Stations or Gas Collecting Stations or similar stations and associated pipelines from oil wells to such stations but before immediate out-bye pipe line leading to the first Pumping Station in oil fields) owned by M/s. Oil India Limited constituting a mine within the meaning of the said Act .

[F. No. Z-13025/01/2013-ISH-II]

A. C. PANDEY, Jt. Secy.